न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2024
जीसीएमएस संख्या–2024/25

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. बाबुलाल पुत्र पुखाराम जाति माली निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर		1.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर 2 सुगनाराम पुत्र धुलाराम जाति माली निवासी नानण रोड़ पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता दर्ज दिनांक 24/01/2024

1. पृथ्वीराज चौहान प्रार्थी ओर से
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी संख्या 01

निर्णय दिनांकः– 27/04/2026

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पीपाड शहर पटवार क्षेत्र पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी, कब्जाशुदा, तरमीमशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 3050/2356 क्षेत्रफल 0.3883 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि स्थित है सबूत मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी सावणु फसल की बुवाई करता आया है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ़ मुटाम कायम करवाकर दिवार/तारबंदी करवाना चाहता है। वादग्रस्त आराजी का नाप चौप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी/ मुण्डागढ़ी करवाई जानी अतिआवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डें उपलब्ध करवा देगा एंव मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देगा एंव नियमानुसार कमीश्नर को फीस अदा कर देगा। प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम पीपाड शहर पटवार क्षेत्र पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी, कब्जाशुदा, तरमीमशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 3050/2356 क्षेत्रफल 0.3883 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि चौप किया जाकर सीमाकंन किया जाकर का नाप पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाने का तहसीलदार पीपाड शहर को आदेशित फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये, अप्रार्थी संख्या 02 को जारी समन बाद तामिल स्वंय अथवा प्रतिनिधि अनुपस्थित जिस पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 3050/2356 का सीमांकन कर पत्थरगडी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने विद्वान पक्षकारान् की बहस सुनी, प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस करते हुए ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 3050/2356 सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थी के पक्ष में किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली, पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज का अवलोकन एवं पक्षकारान् बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 3050/2356 का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
पीपाड़

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 27/04/2026 को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार हो

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
पीपाड़ शहर